FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत .... मुकाम ....

सरकारिया .... बनाम .... भरतराम

करम मुकदमा .... नं. 69/19 .... सन् ....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
24.12.19	पत्रावली पेश हुई। आवेदक प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र 128 एलआरए का अवलोकन किया जाकर मौजा मायूराम जी का बेरा प०ग० सुवालिया की खसरा सं० 78 रकबा 1.2070 हे० भूमि की पत्थरगढ़ी प्रार्थी व विपक्षी की उपस्थिति में फैसल करने के पश्चात करवाये जाने हेतु तहसीलदार, केकड़ी को 500/- रु० फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल किया, आदेश की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्थरगढ़ी की पालना प्राप्त होने पर पत्रावली में शामिल की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नियम से [illegible] हो। [signature] 24/12/19	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला–चित्तौडगढ़(राज.)
(पीठासी अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :: 69/2019

सरदारिया पिता चीमा जाति गंवार निवासी नाथूरामजी का खेडा तह0 बेगूँ

प्रार्थी

बनाम

1. बसराम पिता हरिराम गंवार निवासी सुवाणियां तहसील बेगूँ
2. शंकरलाल पिता नाथु जी गंवार निवासी नाथुरामजी का खेडा तह0 बेगूँ
3. भूमिधारी तहसीलदार ,बेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित : श्री तूफानसिंह
अधिवक्ता प्रार्थी
श्री एच.सी.शर्मा
अधिवक्ता विपक्षी

आदेश दिनांक:: 24.12.2019

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री तूफानसिंह चुण्डावत द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि मौजा नाथूराम जी का खेडा पटवार मण्डल सुवाणियां में खतौनी संख्या 96 संवत 2072–75 में निम्न कृषि आराजीयात प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है, जिसमें प्रार्थी काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। कृषि आराजी का विवरण निम्न प्रकार से है:

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
96	78	1.20700 हैक्टर

वर्णित कृषि आराजी के पाडोस निम्न प्रकार से है:– पूर्व में शंकरलाल पिता नाथू जी गंवार की आराजी , पश्चित में सरकारी जमीन, उत्तर में बसराम गंवार की आराजी एवं दक्षिण में बहाली नाली स्थित है। प्रार्थी के पाडोस में आने वाले विपक्षीगण से प्रार्थी के बुवाई जुताई करते वक्त व घांस काटते वक्त विवाद होता रहता है , जिससे स्थाई समाधान हेतु प्रार्थी अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.04.2019 को विपक्षीगण को स्थायी सीमांकन कराये जाने हेतु कहा तो उन्होने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित मौजा नाथूरामजी का खेडा प0ह0 सुवाणियां की खाता संख्या 96 में अंकित काराजी संख्या 78 रकबा 1.2070 हैक्टर भूमि की मौके पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, पत्रावली में विपक्षी सं0 1 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही आदेश दिये गये जबकि विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री एच. सी.शर्मा द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया, पत्रावली में विपक्षी सं0 2 को कई अवसर जवाब प्रस्तुत किये जाने के दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाने व उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने तथा विपक्षी संख्या 3 भूमिधारी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाने पर पत्रावली में एक तरफा बहस अधिवक्ता प्रार्थी की सुनी गई।

अधिवकता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए आराजी की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया, पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा नाथूरामजी का खेडा प0ह0सुवाणियां का अवलोकन किये जाने पर प्रार्थी मौजा नाथूराम जी का खेडा की आराजी संख्या 78 रकबा 1.2070 हैक्टर भूमि के खातेदार होना पाया गया है, जिससे प्रार्थी को अपनी आराजी की पत्थरगढी कराने का अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज कृषि आराजी मौजा नाथूराम जी का खेडा प0ह0 सुवाणियां की आराजी संख्या 78 रकबा 1.2070 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी फसल कटने के पश्चात प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की उपस्थिती में किए जाने हेतु तसीलदार बेगूँ को 500/–रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पत्थरगढी करा पालना प्रस्तुत किये जाने हेतु भिजवाये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 24.12.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

24/12

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

-----लगातार

Scanned by CamScanner